

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 47/2020

GCMS No-2020/00079

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थी :-
श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		सुरेश कुमार पुत्र कपूरचंद गहलोट (मालिक) मैसर्स-मोदी मनमन्दिर मार्ट, जलदाय विभाग के पास, बाली (पाली)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :-

1. प्रार्थी उपस्थित
2. अप्रार्थी उपस्थित

—: निर्णय :-


दिनांक : 05.04.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के पद पर पदस्थापित है। दिनांक 12.07.2019 को प्रार्थी ने दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स मोदी मनमन्दिर मार्ट, जलदाय विभाग के पास, बाली (पाली) पर पहुँचा, वहाँ पर सुरेश कुमार (मालिक) उपस्थित मिला। विक्रेता की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया की आमजन में बिक्री हेतु एक लीटर की 25 तिल्ली के तेल की पैक बोतल (गुलाब ब्राण्ड) रखी हुई थी, जिनमें मिलावट का शक हुआ तो रूबरू गवाहान प्रपत्र 5 ए भरकर दिया, जिस पर प्रार्थी, गवाहान एवं विक्रेता के हस्ताक्षर है। इसके पश्चात एक लीटर तिल्ली के तेल की बोतल को वास्ते जांच क्रय किया, उक्त क्रयसुदा तेल को चार भागों में विभक्त कर चार शीशीयों में भरकर, उस पर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर-960 अंकित किया एवं नमूने का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन क्रमांक एल.एस./554/एक्ट/2019/608 दिनांक 25.07.2019 के अनुसार प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना घी को Sub-standard & Mis brand का होना जाहिर किया। इसके पश्चात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को निर्धारित समयावधि में अन्य लैबोरेट्री से जांच करवाने बाबत पत्र जारी किया गया, जो अप्रार्थी द्वारा नहीं करवाई गई। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा sub-standard & Mis brand खाद्य तिल्ली का तेल (गुलाब ब्राण्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने वक्त बहस जूम स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वह लोक अदालत की भावना से जूम स्वीकार करता है तथा भविष्य में कभी भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा। अतः उचित जुर्माना अधिरोपित कराने का आदेश प्रदान करावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.07.2019 को दौराने गस्त अप्रार्थी की


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली



फर्म पर गया तो, वहां पर अप्रार्थी सुरेश कुमार पुत्र कपूरचंद गहलोत (मालिक) उपस्थित मिला। प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में प्रपत्र 5-ए भरकर दिया तथा इनकी उपस्थिति में अप्रार्थी की फर्म से मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.07.2019 को आमजन को बिक्री हेतु रखे हुए तिल्ली का तेल (गुलाब ब्राण्ड) को क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-960 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./554/एक्ट/2019/608 दिनांक 25.07.2019 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर-960 को "The sample of Til Oil (Gulab brand) bearing Code No. and Sr. No. R-960 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Pali is Sub-Standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 and Misbranded under section 3(1)(zf)(C) (i) of Food Safety and Standards Act-2006." का माना है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली ने जरिये पत्रांक एफ.एस.एस.ए./2019/8104-05 दिनांक 29.07.2019 के द्वारा अप्रार्थी को प्राप्त रिपोर्ट प्रेषित कर, पुनः जाँच निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला से निर्धारित समयावधि कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिस पर उनके द्वारा जाँच नहीं करवाई गई है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा बेचाण हेतु रखा गया तिल्ली का तेल (गुलाब ब्राण्ड) जो जाँच में Sub-Standard & Misbranded पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है तथा इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub-standard & Misbranded खाद्य तिल्ली का तेल (गुलाब ब्राण्ड) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत अप्रार्थी सुरेश कुमार पर 50,000/- अक्षरे पच्चास हजार रुपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली